दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से मोहनलाल V/S राज०सरकार 2025/118	विशेष विवरण
13/06/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार बस्सी से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रकरण पर बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता की सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30/06/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	
30/06/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30/06/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :– 33/2024 जी.सी.एम.एस. संख्या :– 2024/118

1. मोहनलाल पुत्र भौरया जाति मीना
2. कमलेश पुत्र लल्लूप्रसाद मीना
3. खेमराज पुत्र कैलाशचन्द मीना
4. गंगासहाय पुत्र कैलाशचन्द मीना
5. गुल्ली देवी पत्नी रामफूल मीना
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र लल्लूप्रसाद मीना
7. जमना देवी पत्नी कैलाशचन्द मीना
8. धापादेवी पत्नी लल्लूप्रसाद मीना
9. प्रेम पुत्री रामफूल मीना
10. रमेशचन्द पुत्र कैलाशचन्द मीना
11. रामप्रसाद पुत्र रामफूल मीना
12. सुरज कुमार पुत्र रामफूल मीना
13. कानाराम पुत्र रामफूल मीना

समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–:प्रार्थीगणः–

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. कल्याण पुत्र गुल्ला मीना
3. कैलाशचन्द पुत्र भगवान मीना
4. जन्सी पुत्र गुल्ला मीना
5. बिरदा पुत्र धन्ना मीना
6. महादेव पुत्र धन्ना मीना
7. सीताराम पुत्र गुल्लाराम

समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर।

8. मेधचन्द पुत्र भजनलाल मीनार निवासी प्लाट नम्बर 8 सुदामा नगर तारों की कूट टोक रोड जयपुर।

–:अप्रार्थीगणः–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–श्री विनोद कुमार शर्मा, एड0–प्रार्थीगण।

–:निर्णयः– दिनांक 30/06/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि वर्तमान खाता संख्या नया 21 खसरा नम्बर 887, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 897, 905, 908, 909, 910, 911, 912, कुल किता 14 कुल रकबा 1.7400 है0 वाके ग्राम बूडथल पटवार हल्का बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 17.10.2024 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था, लेकिन खसरा नम्बर 887 व खसरा नम्बर 910 की पूर्वी उत्तरी एवं पश्चिम उत्तरी सीमा पर सीमा विवाद है एवं शेष खसरा नम्बरों की सीमा जानकारी से आवेदक संतुष्ट है। अतः प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः सीमा विवाद के निस्तारण हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 21 खसरा नम्बर 887, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 897, 905, 908, 909, 910, 911, 912, कुल किता 14 कुल रकबा 1.7400 है0 वाके ग्राम बूडथल पटवार हल्का बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर की दिनांक 17.10.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताविक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बस्सी पत्रांक भू.अ./2025/3577 दिनांक 13.06.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 17.10.2024 के

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या नया 21 खसरा नम्बर 887, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 897, 905, 908, 909, 910, 911, 912, कुल किता 14 कुल रकबा 1.7400 है0 वाके ग्राम बूडथल पटवार हल्का बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर की नकल पेंश की।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या नया 21 खसरा नम्बर 887, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 897, 905, 908, 909, 910, 911, 912, कुल किता 14 कुल रकबा 1.7400 है0 वाके ग्राम बूडथल पटवार हल्का बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना सावित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 17.10.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण सावित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बस्सी के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 13.06.2024 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :— *Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या नया 21 खसरा नम्बर 887, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 897, 905, 908, 909, 910, 911, 912, कुल किता 14 कुल रकबा 1.7400 है0 वाके ग्राम बूडथल पटवार हल्का बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीगण के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 17.10.2024 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति शामिल रेकार्ड हो।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner